

### भारत के संविधान की प्रस्तावना

1. शब्द 'प्रस्तावना' संविधान के परिचय या प्रस्तावना को संदर्भित करता है। यह संविधान का सार है।
2. अमेरिका का संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला पहला संविधान था।
3. एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को '**संविधान का पहचान पत्र**' कहा है।
4. प्रस्तावना कुछ हद तक 'उद्देश्य संकल्प' पर आधारित है।
5. प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो **1976 के 42वें संशोधन** अधिनियम द्वारा किया गया था। इस संशोधन में तीन शब्द - **समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता** को शामिल किया गया।
6. प्रस्तावना के चार अवयवों या घटकों से पता चलता है:
7. **संविधान के अधिकार का स्रोत:** प्रस्तावना बताती है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है।
8. **भारतीय राज्य की प्रकृति:** यह भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी राज्य के रूप में घोषित करता है।
9. **संविधान के उद्देश्य:** भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाई-चारा प्रदान करना है।
10. संविधान को अपनाने की तिथि: **26 नवंबर, 1949**।
11. बरुभाड़ी संघ मामला (1960) - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
12. **केशवानंद भारती मामला (1973)** - सर्वोच्च न्यायालय ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
13. प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है। प्रस्तावना के प्रावधान कोर्ट ऑफ लॉ में लागू नहीं होते हैं, अर्थात् यह गैर-न्यायसंगत है।

### संघ और इसका क्षेत्र

1. संविधान का **भाग-1 अनुच्छेद 1 से 4** (संघ और उसके क्षेत्र) का वर्णन करता है।
2. **अनुच्छेद 1-** भारत, अर्थात्, '**राज्यों के संघ**' के रूप में भारत।
3. अनुच्छेद 2- संसद को 'संघ में प्रवेश करने या स्थापित करने हेतु उचित नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को स्थापित करने हेतु सशक्त बनाता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है:
4. भारत संघ के नए राज्यों में प्रवेश करने की शक्ति; और
5. नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति।
6. अनुच्छेद 3- भारत के मौजूदा राज्यों के गठन या परिवर्तनों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 3 भारत के संघीय राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुनः समायोजन से संबंधित है।
7. कुछ समितियां जो भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण थीं: - धर आयोग, जे.वी.पी समिति, फज़ल अली आयोग और राज्यों के पुनर्गठन आयोग (1956 में पहली बार)
8. इसलिए वर्ष 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य - 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, गोवा, दमन और दीव को भारत ने 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगालियों से अधिग्रहण किया। ये 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित थे, बाद में 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, नागालैंड 1963 में, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को 1966 में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1974-75 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को वर्ष 2000 में और अब हाल ही में तेलंगाना को 2 जून, 2014 में राज्य का दर्जा दिया गया।

## नागरिकता

- भाग-2 में अनुच्छेद 5-11 वर्णित हैं
- संविधान भारत के नागरिकों पर निम्नलिखित अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रदान करता है (और ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है):
  - अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा दिए गए अधिकार
  - लोकसभा और राज्य विधान सभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार।
  - संसद की सदस्यता और राज्य विधायिका के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
  - कुछ सार्वजनिक कार्यालयों को धारण करने की योग्यता, जैसे की, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल और राज्यों के एडवोकेट जनरल आदि।
- अनुच्छेद 5-8 केवल उन व्यक्तियों की नागरिकता के लिए है जो संविधान के प्रारंभ में भारत के नागरिक बने। इसके अलावा, इन लेखों में आत्रजन (माइग्रेशन) के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।
- कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जायेगा यदि वह स्वेच्छा से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है (अनुच्छेद 9)।
- संसद द्वारा तैयार किए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन भारत के नागरिक होने को मानना या जो भी व्यक्ति माना जाता है, ऐसे लोग नागरिक बने रहेंगे (अनुच्छेद 10)।
- संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समापन के संबंध में किसी भी प्रावधान और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों को बनाने का अधिकार होगा (अनुच्छेद 11)।
- इसलिए, संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में अधिनियमित किया, जिसे 1986 1992, 2003, और 2005 और हाल ही में 2015 में संशोधित किया गया है। संशोधन बिल 2016 अभी भी लंबित है।
- नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिकता के अधिग्रहण के पांच तरीके हैं
  - जन्म से
  - वंश द्वारा
  - पंजीकरण द्वारा
  - प्राकृतिककरण द्वारा
  - भारतीय संघ में किसी अन्य क्षेत्र का अधिग्रहण करके
- नागरिकता की हानि - समाप्ति, त्याग और स्थिरता है।
- भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है
- पी.आई.ओ- गृह मंत्रालय के तहत पी.आई.ओ कार्ड धारक के रूप में दिनांकित 19-08-2002 की योजना में पंजीकृत व्यक्ति ।
- ओ.सी.आई- नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत के विदेशी नागरिक (ओ.सी.आई) के रूप में पंजीकृत व्यक्ति। ओ.सी.आई योजना दिनांक 02-12-2005 से संचालित हो रही है।
- अब दोनों योजनाओं का 9 जनवरी, 2015 से प्रभावी रूप से विलय कर दिया गया है।